

आम चुनाव 2025: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमाएं:

मतदाता पंजीकरण की अंतिम तिथि (डाक से या ऑनलाइन):

- 14 अक्टूबर, 2025.

व्यक्तिगत रूप से प्रारंभिक मतदान अवधि:

- 25 अक्टूबर, 2025 - 2 नवंबर, 2025. मतदान कार्यदिवसों और शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक तथा रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा।

डाक द्वारा मतदान आवेदन की अंतिम तिथि (डाक द्वारा):

- 28 अक्टूबर, 2025. काउंटी क्लर्क को इस तिथि तक आवेदन प्राप्त हो जाना चाहिए।

डाक द्वारा मतदान आवेदन की अंतिम तिथि (स्वयं):

- 3 नवंबर, 2025, दोपहर 3 बजे तक, आपके काउंटी क्लर्क के कार्यालय में।

आम चुनाव की तिथि:

- 4 नवंबर, 2025
(मतदान सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे)

चुनाव का दिन 4 नवंबर, 2025 को है।

ऑनलाइन वोट करने के लिए पंजीकरण करें	अपनी मतदाता पंजीकरण स्थिति जांचें।
	
न्यू जर्सी मतदाता सूचना पोर्टल।	Vote411
	

क्या मैं मतदान करने के योग्य हूँ और मैं मतदान के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता/सकती हूँ?

न्यू जर्सी में मतदान के लिए पंजीकरण करने के लिए, आपको निम्नलिखित होना चाहिए: संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक; कम से कम 17 वर्ष का (और यह समझें कि आप 18 वर्ष की आयु तक मतदान नहीं कर सकते); चुनाव से 30 दिन पहले तक काउंटी का निवासी होना चाहिए; तथा वर्तमान में किसी गंभीर अपराध के कारण कारावास की सजा नहीं काट रहा होना चाहिए। यदि आप पैरोल या प्रोबेशन पर हैं, तो आप मतदान के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। नवंबर के आम चुनाव के लिए मतदाता पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर, 2025 है।

व्यक्तिगत रूप से शीघ्र मतदान क्या है?

न्यू जर्सी के मतदाता निर्धारित शीघ्र मतदान केंद्रों पर, वोटिंग मशीन का उपयोग करके, व्यक्तिगत रूप से शीघ्र मतदान कर सकते हैं। शीघ्र मतदान 25 अक्टूबर, 2025 से 2 नवंबर, 2025 तक उपलब्ध रहेगा। इस दौरान, मतदान केंद्र कार्यदिवसों और शनिवार को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। शीघ्र मतदान केंद्रों के लिए अपनी काउंटी से संपर्क करें या lvnj.org/vote पर जाएं।

मेरे मतदान विकल्प क्या हैं?

नवंबर के आम चुनाव में मतदान करने के 3 तरीके हैं:

- चुनाव के दिन व्यक्तिगत रूप से:**
 - 4 नवंबर, 2025 को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक अपने मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करें।
- प्रारंभिक मतदान के दौरान व्यक्तिगत रूप से:**
 - प्रारंभिक मतदान अवधि के दौरान, अपने काउंटी के किसी प्रारंभिक मतदान केंद्र पर, वोटिंग मशीन का उपयोग करके, व्यक्तिगत रूप से मतदान करें।
- डाक द्वारा मतदान:**
 - अपना डाक द्वारा मतदान मतपत्र लौटाएँ:
 - सुरक्षित मतपत्र ड्रॉप बॉक्स;** चुनाव के दिन शाम 8 बजे तक अपने डाक द्वारा मतदान मतपत्र को अपनी काउंटी के किसी सुरक्षित मतपत्र ड्रॉप बॉक्स में डालें।
 - डाक द्वारा;** आपके मतपत्र को चुनाव दिवस तक डाक-चिह्नित (पोस्टमार्क) होना अनिवार्य है।
 - व्यक्तिगत रूप से;** चुनाव के दिन शाम 8 बजे तक अपने काउंटी के चुनाव बोर्ड कार्यालय में अपना डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र जमा करें।

मेरा मतदान केंद्र कहाँ है?

आप अपनी काउंटी के किसी भी मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते हैं या चुनाव के दिन अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर मतदान कर सकते हैं। अपना मतदान केंद्र Vote411.org या lwnj.org/vote पर खोजें।

मैं डाक द्वारा मतदान कैसे कर सकता/सकती हूँ?

न्यू जर्सी में, कोई भी योग्य पंजीकृत मतदाता आवेदन करने के बाद डाक द्वारा मतदान कर सकता है। अपना डाक द्वारा मतदान मतपत्र प्राप्त करने के लिए, आवेदन 28 अक्टूबर, 2025 तक आपके काउंटी क्लर्क को प्राप्त हो जाना चाहिए। मतदाता 3 नवंबर, 2025 को दोपहर 3 बजे तक काउंटी क्लर्क को व्यक्तिगत रूप से भी आवेदन कर सकते हैं।

मैं अपना डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र कैसे वापस करूँ?

अपना मतपत्र तीन तरीकों में से किसी एक द्वारा लौटाएँ: चुनाव के दिन मतदान समाप्त होने से पहले अपने मतपत्र को अपनी काउंटी में किसी सुरक्षित मतपत्र ड्रॉप बॉक्स तक लाएँ। अपने मतपत्र को डाक द्वारा वापस भेजें — यह चुनाव दिवस तक डाक-चिह्नित (पोस्टमार्क) होना चाहिए और मतदान समाप्त होने के 144 घंटे (6 दिन) के भीतर काउंटी निर्वाचन बोर्ड को प्राप्त हो जाना चाहिए। या चुनाव के दिन मतदान समाप्त होने से पहले अपने मतपत्र को अपनी काउंटी के चुनाव बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से लाएँ।

मैं मतदान कर्मी कैसे बन सकता हूँ?

मतदान कर्मी हर चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यू जर्सी वर्तमान में ऐसे व्यक्तियों की तलाश कर रहा है जो समय से पहले मतदान और चुनाव के दिन व्यक्तिगत रूप से मतदान की सुविधा प्रदान करने में मदद कर सकें। यह एक वेतनभोगी पद है और इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। PollWorker.NJ.Gov पर आवेदन करें।

मैं उम्मीदवारों के बारे में कैसे जान सकता/सकती हूँ?

उम्मीदवार फ़ोरम मतदाताओं को उम्मीदवार और प्रमुख मुद्दों पर उनके रुख के बारे में अधिक जानने में मदद करने के लिए आवश्यक मंच हैं। उम्मीदवार स्थानीय समाचार पत्रों और समाचार चैनलों, सोशल मीडिया, स्थानीय सामुदायिक बैठकों और प्रचार सामग्री के माध्यम से भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आप Vote411.org पर जाकर राज्य और स्थानीय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के बारे में जान सकते हैं।

डाक-द्वारा-मतदान
आवेदन का प्रिंट
आउट लें



अपने डाक-द्वारा-
मतदान मतपत्र
को टैक करें



मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र की गिनती हुई या नहीं?

डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र के लिए आवेदन करने के बाद, आप इस प्रक्रिया को ऑनलाइन टैक कर सकते हैं। अपने डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र को टैक करने के लिए, Vote.NJ.Gov पर जाएँ। वहाँ से, "मेरा मतपत्र टैक करें" चुनें और अपने "मेरा मतदाता रिकॉर्ड" खाते में लॉग इन करें। यदि आपके पास पहले से कोई खाता नहीं है, तो आप एक खाता बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपनी मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। Vote.NJ.Gov पर जाकर और "क्या मैं पंजीकृत हूँ" चुनकर अपनी मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करें। "क्या मैं पंजीकृत हूँ" टूल में अपनी जानकारी दर्ज करने के बाद, आपको अपना मतदाता पहचान पत्र दिखाई देगा। अपना मतदाता रिकॉर्ड खाता बनाने और उसमें लॉग इन करने के बाद, आप अपनी डाक द्वारा मतदान स्थिति देख सकते हैं।

अगर मेरा डाक द्वारा मतदान मतपत्र अस्थायी रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, तो क्या होगा?

मतपत्र कई कारणों से अस्वीकार किए जा सकते हैं, जिनमें सबसे आम कारण हस्ताक्षर का गायब होना या मेल न खाना है। अगर आपके हस्ताक्षर में किसी समस्या के कारण आपका मतपत्र अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आपको अपने काउंटी चुनाव बोर्ड से एक "सुधार पत्र" प्राप्त होगा जिसमें एक सुधार प्रपत्र शामिल होगा। इस प्रपत्र को पूरा करने पर, आप घोषणा करेंगे कि यह आपका मतपत्र था और जानकारी प्रदान करके अपनी पहचान सत्यापित करेंगे। आप इस फ़ॉर्म को अपने काउंटी चुनाव बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं, या इसे डाक, ईमेल या फ़ैक्स द्वारा वापस भेज सकते हैं। फ़ॉर्म प्राप्त होते ही इसे भरें। काउंटी चुनाव बोर्ड को आपका मतपत्र सुधार फ़ॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि चुनाव प्रमाणन से 48 घंटे पहले की होती है।

कोई अन्य प्रश्न हैं?

न्यू जर्सी की महिला मतदाता लीग को contact@lwnj.org पर ईमेल करें।

यह परियोजना न्यू जर्सी स्टेट बार फ़ाउंडेशन द्वारा सह-प्रायोजित है और न्यू जर्सी बार के IOLTA फ़ंड से प्राप्त धनराशि से संभव हुई है।